

6

बिहार सरकार
गृह विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 18.01.16

अ0नि0 (01) 02/2013 (स्था) ...53... भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-25 (A) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 में निम्नांकित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं:-

संशोधन

1. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 का नियम 5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"5 (1) अभियोजन निदेशालयाध्यक्ष निदेशक, अभियोजन होंगे।

(2) निदेशक, अभियोजन के लिए निम्नलिखित पात्रता/मानदंड होंगे:-

- (i) बिहार अभियोजन सेवा के जिला अभियोजन पदाधिकारी अथवा इसके समकक्ष या वरीय पद धारित करने वाले पदाधिकारी।
- (ii) बिहार अभियोजन सेवा में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो।
- (iii) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन देने हेतु नियत अंतिम तिथि को आवेदन करने वाले पदाधिकारियों की सेवा कम से कम तीन वर्ष शेष हो।

(3) बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तीन पदाधिकारियों के नामों का पैनल भेजेगा। आयोग से प्राप्त तीन पदाधिकारियों के पैनल को उचित माध्यम से मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना को सहमति के लिए भेजा जायेगा। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त, चयनित पदाधिकारी की नियुक्ति निदेशक, अभियोजन के पद पर की जायेगी।

(4) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम अनुलग्नक-क के अनुरूप होगा।"

2. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम 6 के उप नियम (ग) के बाद निम्नलिखित एक नया उप नियम(ग ग) जोड़ा जाएगा:-

"(ग ग) जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारी, जिनकी सेवावधि चयन वर्ष की 1ली अगस्त को कम से कम 02 वर्षों की शेष हो, उनमें से तीन वरीयतम पदाधिकारियों का पैनल माननीय उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायाधीश की सहमति हेतु भेजा जायेगा। पैनल में से चयनित पदाधिकारी को उपनिदेशक, अभियोजन के पद पर पदस्थापित किया जायेगा।"

3. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 में जहाँ कहीं भी प्रयुक्त शब्द "महानिदेशक, अभियोजन" शब्द "निदेशक, अभियोजन" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(आमिर सुबहानी) 15.1.16

बिहार सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक अ0नि0(01) 02/2013/स्था...53.../

दिनांक...18.01.16/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

cmw

सरकार के प्रधान सचिव
दिनांक...18.01.16/

ज्ञापांक अ0नि0(01) 02/2013/स्था...53.../

प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को ई-गजट में प्रकाशित करें।

cmw

सरकार के प्रधान सचिव
दिनांक...18.01.16/

ज्ञापांक अ0नि0(01) 02/2013/स्था...53.../

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला अभियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

cmw

सरकार के प्रधान सचिव
दिनांक...18.01.16/

ज्ञापांक अ0नि0(01) 02/2013/स्था...53.../

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

cmw

सरकार के प्रधान सचिव
दिनांक...15.1.16/

निदेशक, अभियोजन के पद हेतु आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप एवं पद्धति।

अभियोजन निदेशालय के शीर्ष पद निदेशक, अभियोजन के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जायेगी। परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा।

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निदेशक, अभियोजन के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्रता निम्नवत् होगी:-

- (i) बिहार अभियोजन सेवा के जिला अभियोजन पदाधिकारी अथवा इसके समकक्ष या वरीय पद धारित करनेवाले पदाधिकारी।
- (ii) बिहार अभियोजन सेवा में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो।
- (iii) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवाले पदाधिकारियों की सेवा कम से कम तीन वर्ष शेष हो।

3. परीक्षा-

(क) परीक्षा के दो पत्र होंगे।

- (i) प्रथम पत्र सामान्य पत्र कहलाएगा, जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित), सामान्य विज्ञान और विश्लेषणात्मक योग्यता (analytical ability) के क्रमशः 20+20+20+20+20=कुल 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार, कुल 100 प्रश्नों के लिए 200 अंक निर्धारित होंगे। यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर के साथ होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाएगा।

(Negative Marking)

- (ii) दूसरा पत्र विधि पत्र कहलाएगा, जिसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, दहेज उन्मूलन अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, मानव व्यापार विरोधी अधिनियम एवं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) से प्रश्न होंगे। यह प्रश्न पत्र विषयनिष्ठ (Subjective) होगा। इस विषय का पूर्णांक 400 अंको का होगा।

(ख) इस परीक्षा के सामान्य प्रश्न पत्र का स्तर वही होगा, जो विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा का होता है। परीक्षा के विधि पत्र का स्तर वही होगा, जो विधि स्नातक परीक्षा का होता है।

(ग) सभी अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार हेतु कुल 200 अंक निर्धारित होंगे।

(घ) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निदेशक, अभियोजन के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग अपनी अनुशंसा तीन पदाधिकारियों के पैनल के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा।